

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1
संख्या-संवि0क0नि0-1-1732/11-2017-93/2017 टी0सी0
लखनऊ:दिनांक: 16 नवम्बर, 2017

--: विज्ञप्ति :-

सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग संबंधी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/40/85-कार्मिक-1, दिनांक 26-10-1985, शासनादेश संख्या-868/13/6/98- का0-1-2000, दिनांक 23-09-2000 तथा शासनादेश संख्या-3/2017/13(1)/2007/का-1-2017, दिनांक 06-07-2017 के प्राविधानानुसार फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डमेंटल रूल 56 के खण्ड-(सी) के अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि श्री हरी राम चौरसिया, ज्वाइन्ट कमिश्नर इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की नियमानुसार धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे, जिस दर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

श्री राज्यपाल की ओर से,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-संवि0क0नि0-1-1732 (1)/11-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5. श्री हरी राम चौरसिया, ज्वाइन्ट कमिश्नर द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. कर एवं निबन्धन अनुभाग-4
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

एडी.कमि०

3
कमिश्नर
16.11.2017

4482
16-11-17

ज० (स्था०)


इसे संवि०
एस०.एम०
16.11.17

3678
16/11/17

851
16.11.17
श्री राजेश्वर
16/11/17
ज० (स्था०)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 संयुक्त सचिव,कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, 30प्र0शासन सचिवालय, लखनऊ।
2. एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
- 3- एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर(कमिश्नर कैम्प) मुख्यालय।
- 6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 7- एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा को दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश की एक प्रति तत्काल श्री हरीराम चौरसिया, ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर, ग्रेटर नोएडा को तामील कराकर तामीलीशुदा प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी श्री हरीराम चौरसिया, ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर, ग्रेटर नोएडा को उपरोक्तानुसार।
- 9 डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर, नोएडा।
- 10 सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 11 कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए, स्थापना राजपत्रित अनुभाग।
- 12 चरित्र पंजिका पटला।


(बबिता तिवारी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।